RCMS
2020/00022

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट मु.नं. 28 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.02.2020	यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी मांगीलाल पुत्र गोरधनराम जाति नायक निवासी बाड़ा तहसील सुजानगढ ने वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बाड़ा की जमाबन्दी संवत 2074–2077 में नया खाता खंख्या 18 पुराना खाता संख्या 18 में प्राथी का नाम राजस्व रिकार्ड में मांगुराम पुत्र गोरधनराम जाति नायक निवासी बाड़ा दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का सही नाम मांगीलाल पुत्र गोरधनराम जाति नायक निवासी बाड़ा है। प्रार्थी का नाम मांगीलाल पुत्र गोरधनराम किया जाने के आदेश फरमावे। वाद पत्र प्रस्तुत होने पर पैरोकार राज सुजानगढ से रिपोर्ट ली गई पैरोकार राज सुजानगढ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि जमाबंदी संवत 2074–2077 में प्रार्थी का नाम मांगुराम पुत्र गोरधनराम जाति नायक निवासी बाड़ा दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात व पटवारी रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का सही नाम मांगीलाल पुत्र गोरधनराम जाति नायक निवासी बाड़ा है। जो शुद्ध किया जाना उचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात एंव पैरोकार राज सुजानगढ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बाड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में नया खाता खंख्या 18 पुराना खाता संख्या 18 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–	

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	बाड़ा	18	मांगुराम पुत्र गोरधनराम जाति नायक निवासी बाड़ा खातेदार	मांगीलाल पुत्र गोरधनराम जाति नायक निवासी बाड़ा खातेदार

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/02/2020

उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2020.03.18 14:22:00 IST
Reason: SelfAttested